जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स गैलेक्सी एसोसिएट्स, खनन परियोजना (क्वार्ट्ज, फेल्सपार और सिलिका रेत) का एम एल नम्बर 15/2022, क्षेत्रफल 4.8333 हैक्टेयर एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 09.6097 हैक्टेयर के खसरा नम्बर 122, 129, 130, 131 निकट ग्राम– बनियाला (महावा), तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान) की क्लस्टर मय खनन परियोजना में उत्पादन क्षमता 470184 टन प्रति वर्ष से 700440 टन प्रतिवर्ष बढ़ाने एवं क्वार्ट्ज, फेल्सपार और सिलिका रेत की मौजूदा खनन परियोजना में मेसेनरी स्टोन को माईनिंग परियोजना में शामिल करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 28.05.2025 को सुबह 11:00 बजे कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत महावा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/14924755 दिनांक 25.04.2025 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–सीकर/एसकेआर–पीएच–22/186–193 दिनांक 25.04.2025 के अनुपालना में मैसर्स गैलेक्सी एसोसिएट्स, खनन परियोजना (क्वार्ट्ज, फेल्सपार और सिलिका रेत) का एम एल नम्बर 15/2022, क्षेत्रफल 4.8333 हैक्टेयर एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 09.6097 हैक्टेयर के खसरा नम्बर 122, 129, 130, 131 निकट ग्राम– बनियाला (महावा), तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान) की क्लस्टर मय खनन परियोजना में उत्पादन क्षमता 470184 टन प्रति वर्ष से 700440 टन प्रतिवर्ष बढ़ाने एवं क्वार्ट्ज, फेल्सपार और सिलिका रेत की मौजूदा खनन परियोजना में मेसेनरी स्टोन को माईनिंग परियोजना में शामिल करने हेतु पर्यावरणीय

स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) की अध्यक्षता में खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 28.05.2025 को आयोजित की गई। सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है।** जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र **दैनिक भास्कर** के संस्करण नीमकाथाना में दिनांक 27.04.2025 एवं **दैनिक उद्योग आस–पास** के संस्करण में दिनांक 27.04.2025 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।**

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उदेदश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स वितास्ता इन्वायरो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर की तकनीकी सलाहकार श्री सुनिल कुमार यादव के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई तथा ग्रामीण पंचायत से परामर्श कर उचित व्यवस्थाए की जायेगी।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, सीकर एवं श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

तत्पश्चात् जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट किये गये जो कि निम्नानुसार है :–

1. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना द्वारा इकाई प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि यहां जो बताया गया वृक्षारोपण, स्थानीय लोगो को रोजगार, सामाजिक दायित्व, आदि के बारे में वो पूरा किया जाये। यहां के लोगो के लिए असुविधा ना हो, सामजस्य बिढ़ाकर कार्य करें और पेड़ लगाये।
2. श्री पवन सिंह, महावा ने लिखित में आवेदन देकर ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में वाटर कुलर की आवश्यकता बतायी गयी है।
3. श्री विक्रम सिंह, महावा द्वारा बताया गया कि जो भी इस खनन परियोजना में पर्यावरण के बारे में बताया गया है वो पूर्ण हो उनकी कथनी एवं करनी में अन्तर ना हो। हम सब के लिए पर्यावरण पहले है, पर्यावरण को बचाने के लिए सभी प्रयास करें। यहां बहुत सारी खाने पहले से चल रही है वो लगभग 1000 पेड़–पौधे लगवायें एवं ग्राम पंचायत की मांग वाटर कुलर लगाने की है।

पुनः सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया कि यदि उन्हें इस परियोजना से किसी प्रकार की कोई सुझाव/आपत्ति हो तो मौखिक व लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान इस खनन परियोजना से सम्बन्धित 01 लिखित सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुये।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद कहा एवं जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा के साथ जनसुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई तथा जन सुनवाई के पश्चात् इकाई प्रतिनिधि के द्वारा पधारे हुए सभी ग्रामवासियों को एक–एक पेड़ भेंट किये गये।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीम का थाना (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सनुवाई

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स गैंलेक्सी एसोसिएट, एम एल नम्बर 15/2022 क्षेत्रफल 4.8333 हेक्टेयर (कलस्टर क्षेत्रफल 9.6097 हेक्टेयर), उत्पादन क्षमता 470184 टन प्रति वर्ष से 700440 टन प्रति वर्ष खसरा नम्बर 122, 129, 130, 131 निकट ग्राम बनियाला (महावा) तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर में क्वार्ट्ज, फेल्सपार और सिलिका रेत की मौजूदा खनन परियोजना में मेसेनरी स्टोन माईनिंग परियोजना शामिल करने एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 14924755 दिनांक 25.04.2025 के द्वारा उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक **28.05.2025 (बुधवार)** को **प्रातः 11:00 बजे, स्थान– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत महावा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर** में निर्धारित की गई।

स्थान :– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत महावा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।**

दिनांक :– **28.05.2025** समय :– **सुबह 11.00 बजे (बुधवार)**

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	भागीरथ ADM NKT	[signature]
2	Savita, Ro, RSPCB, Sikar	Savita
3.	Vijendra Mahawa	[signature]
4.	सुरेश कुमार शर्मा	सुरेश
5	मोहन सिंह गाव महावा	मोहनसिंह
6	रामसिंह " पचली	रामसिंह
7	विकास कुमार महावा	Vi[signature]
8	अनिल कुमार महावा	[signature]
9	राजुसिंह महावा	राजुसिंह
10	जसवन्त सिंह महावा	[signature]
11		

कार्यालय-ग्राम पंचायत महावा, पं.स. नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज.)

प्रेषक :-

सरपंच
ग्राम पंचायत महावा
तह. नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते

प्रेषिति :-
श्रीमान

पत्रांकः-

दिनांक.................................

सभी भामाशाहो से अनुरोध है। कि ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में वाटर फ्रिज कि सख्त आवश्यकता है। क्योकि ग्राम पंचायत कार्यालय में आम जनता का आवागमन रहता है। इसलिए गर्मी के मौसम को देखते हुए वाटर फ्रिज लगवाने का श्रम करें।

नवलकंवर
सरपच / प्रशासक
ग्राम पंचायत महावा
पं. स. नीमकाथाना सीकर,

शेखावा

सीकर | रविवार, 27 अप्रैल, 2025

सीकर सिटी • नीमकाथाना • श्रीमाधोपु

तापमान/मौसम

दिन 40.5⁰ अधिकतम |
रात 24.3⁰ न्यूनतम

तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। तपन बढ़ेगी।

जिले में आज

- एचपीवी वैक्सीनेशन कैंप

कहां : राठी हॉस्पिटल, सीकर
दोपहर 10 बजे से

सोना चांदी भाव

सोना

24 कैरेट	22 कैरेट
98700 (+900)	91700 (+800)

(रेट प्रति 10 ग्राम में, जीएसटी शामिल नहीं)

चांदी	प्रति किलो 99700 (-500)

नारायणी ज्वेलर्स

स्टेशन रोड 60 फीट चौड़ी; आधी पर

संडे

सीकर | स्टेशन रोड 60 फीट चौड़ी है, लेकिन सुबह 10 बजे बाद ये महज 30 फीट की रह जाती है। क्योंकि दुकानदार सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण कर लेते हैं, जो देर रात तक बना रहता है। ऐसी स्थिति जाट बाजार से लेकर कल्याण सर्किल तक बनी रहती है। साथ ही बेतरतीब वाहनों की पार्किंग कर दी जाती है। इससे सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे हर वक्त हादसे का डर बना रहता है। यातायात पुलिस कभी कभा दुकानों के सामने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क है। आगे पुलिस अतिक्रमण हटाती है और पीछे-पी दुकानदार वापस सड़क पर अतिक्रमण लेते हैं। क्योंकि जो दुकानदार बाहर सामान रखते हैं। उस सामान जब्ती नहीं होती। इसलिए बिना डर के आ दिन सड़क अतिक्रमण कर लेते हैं। इससे शहर का यातायात प्रभावित होता है।

कीटनाशक के दुष्प्रभाव से बुजुर्ग की हुई मौत

सीकर | खेत में कीटनाशक छिड़कते समय उसके दुष्प्रभाव से बुजुर्ग की मौत हो गई। नेहरों की ढाणी दूगोली निवासी सुरजीत जाट ने धोद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसार पीड़ित का कहना है कि उसके पिता रामनिवास खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे। तबीयत बिगड़ी तो एसके अस्पताल लाए, जहां मृत घोषित कर दिया।

पदोन्नत व्याख्याताओं को पांच मई तक कार्य ग्रहण का मौका

सीकर | माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर डीपीसी वर्ष 2021-22 और 2022-23 में पदोन्नत कार्मिकों के लिए नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिन कार्मिकों को पहले 30 अप्रैल तक कार्य ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कार्यग्रहण नहीं किया या कार्यमुक्त नहीं हुए, उन्हें अब 5 मई तक कार्यमुक्त और कार्य ग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया गया है। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि शेष शर्तें पूर्व आदेश के अनुसार ही लागू रहेंगी।

संडे) बिग स

जिले में 5 अपने स्त

भास्कर संवाददाता | सीकर

जिले में महिला एवं बाल वि विभाग की ओर से संचालित 21 आंगनबाड़ी केंद्रों में से करीब 500 पंखों की व्यवस्था नहीं है। सर भवनों में संचालित केंद्रों के अल कुछ जगह दानदाताओं की ओर व्यवस्था की गई है। इसके बावज 500 केंद्रों में पंखों की कोई व्यवस नहीं है। ऐसे में भीषण गर्मी में ज

कल्पवृक्ष अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, पिलानी
&
आकृति IVF सेंटर, पिलानी

डिम्पल जोशी को मिली पीएचडी की उपाधि

लक्ष्मणगढ़ | डिम्पल जोशी को उनके शोध कार्य के लिए पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। जिला अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक सुशील

कुमार जोशी की पुत्रवधु डिम्पल जोशी ने कबीर के काव्य का मूल्यांकन व वर्तमान में इसकी सार्थकता विषय पर डॉ. कुलदीप गोपाल शर्मा के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूरा करने पर निजी यूनिवर्सिटी झुंझुनूं द्वारा उनको पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। डॉ. डिम्पल जोशी की इस उपलब्धि पर शुभचिंतकों व परिजनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है।

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board,
Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE
Lifestyle for Environment

RPCB/RO- Sikar/SIK-PH-022/

Date:25.04.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सुचना

विषयः- मैसर्स गैलेक्सी एसोसिएट एम एल नंबर 15/2022, खसरा नम्बर 122, 129, 130, 131, निकट ग्राम बनियाला (महावा), तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में क्वार्टस, फेल्सपार और सिलिका रेत की मौजूदा खनन परियोजना में मैसेनरी स्टोन माइनिंग परियोजना शामिल करने एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गैलेक्सी एसोसिएट द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें क्वार्टस, फेल्सपार और सिलिका रेत की मौजूदा खनन परियोजना में मैसेनरी स्टोन माइनिंग परियोजना शामिल करने एवं उत्पादन क्षमता 470184 टीपीए से 700440 टीपीए बढ़ायी जानी है जोकि माइनिंग क्लस्टर क्षेत्र 9.6097 हेक्टर, एम एल नंबर 15/2022 प्रस्तावित विस्तार खनन क्षेत्र 4.8333 हेक्टर, खसरा नम्बर 122, 129, 130, 131, निकट ग्राम बनियाला (महावा), तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि गैलेक्सी एसोसिएट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैः-

i. जिला कलक्टर, सीकर। ii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर। iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, सीकर। vi. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर। vii. क्षेत्रीय प्रबधंक रीको, सीकर। viii. ग्राम पंचायत, महावा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर। ix. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम महावा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर। X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 14924755 दिनांक 25.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 28.05.2025 (बुधवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत महावा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कौविड- 19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सांवधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी ।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

आए मृतक की शि

रींगस | कस्बे के रेलवे स्टेशन प
आने से शुक्रवार को एक युवक
शनिवार को उसकी शिनाख्त हो ग
ने मृतक के परिजनों को बुलाकर
करवाई। इसके बाद एसके हॉस्पि
का पोस्टमार्टम करवाकर परिज
जीआरपी चौकी प्रभारी एएसआई
बताया कि मृतक की शिनाख्त न
बताए गए नाम विकास व हरि
फोटोज हरियाणा ग्रुप की सोश
गए। फोटो को देखकर परिजनों ने
पर मृतक के भाई कृष्णकुमार
सीकर में पहुंचकर शव की शिन
शव का पोस्टमार्टम करवाकर
किया। विकास कुमार नाई (30
निवासी गांव सोरखी, थाना बा
रूप में उसकी पहचान हुई।

सीकर बाजा

अनाज : जौ 2175,
2420-2450, गेहूं कल्याण
(1482) 2500-2550, गेहूं
तिलहन : मूंगफली 400
10500-11000, सरसों क
सरसों लाल 4700-480
6600-7200, तारामीरा 470
मूंग 6200-7300, गौरी मोठ
5200-5300, काबली चना
4800-4900, चना 5400-
6100-6600, चंवला सफेद
पशु आहार : बिनौला
1100-1200, अरावली स्पेश
गोपाल 50 किलो 1130,
पंजीरी 1117, गोधारा 1105
1130, अशोका 50 किलो
4200, बिनौला काला 48
1130, कावेरी 1117 रूप
मक्खन 1117, अरुणावती 110

दैनिक
उद्योग आस-पा[स]
भारत व राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए

प्रभात ■वर्ष : 42 ■अंक 210 सीकर, रविवार 27 अप्रेल, 2025 सीकर-जयपुर से एक साथ प्रकाशित

राजस्थान में भारत-पाक बॉर्डर पर बीएसएफ ने सख्ती बढ़ाई

आईजी ने जैसलमेर के बाद बीकानेर का दौरा किया

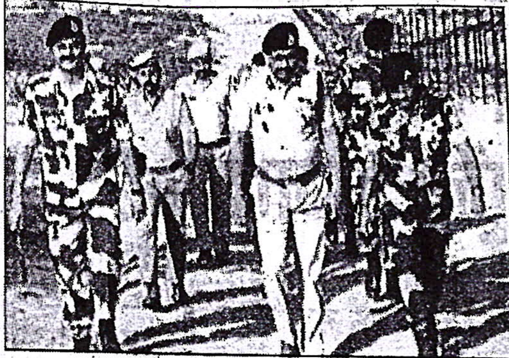

जैसलमेर/बीकानेर। पहलगाम में आतंकी घटना के बाद राजस्थान में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने सख्ती बढ़ा दी है। राजस्थान सेक्टर पर स्थित सभी पर्यटन स्थलों पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। राजस्थान सेक्टर के आईजी एमएल गर्ग ने कहा- बीकानेर के देशनोक करणी मंदिर सहित सभी प्रमुख स्थलों पर पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां नजर रखे हुए है। प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर निगरानी रखी जा रही है। आईजी ने कहा- बीएसएफ हमेशा हर हालात से निपटने में सक्षम है। आईजी पश्चिमी राजस्थान से सटे बॉर्डर की चैक पोस्ट का निरीक्षण कर रहे है। इस दौरान बीकानेर में मीडिया से बात करते हुए पहलगाम की घटना से जुड़े सवाल पर कहा- घटना कहीं भी हो सकती है। हमें सरकार और फोर्स के साथ खड़े होना है। किसी भ्रम में नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का जवाब नहीं दिया जाएगा। ये दो देशों के बीच का मुद्दा है, इसे अन्य किसी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। पिछले दो दिन में जैसलमेर और बीकानेर सेक्टर की पोस्ट का निरीक्षण किया गया है। सभी पोस्ट अलर्ट हैं। कहीं किसी तरह की समस्या नहीं है। आईजी ने पाकिस्तानी नागरिकों को निकालने के मुद्दे पर कहा-ये काम प्रशासन कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल की पोस्ट पर जवानों से मिलने और चर्चा करने के सवाल पर गर्ग ने कहा-ये सामान्य गतिविधि है।

एक और आतंकी का घर जमींदोज अब तक छः के आशियाने तबाह

जम्मू-कश्मीर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सुरक्षाबलों ने पुलवामा, शोपियां, कुलगाम के बाद अब कुपवाड़ा में एक अन्य आतंकी का घर बम से उड़ा दिया गया है। आतंकियों पर लगातार एक्शन जारी है और अब तक छः दहशतगर्दों के घरों को मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। इससे पहले आज ही शोपियां के चोटीपोरा में एक सक्रिय शीर्ष लश्कर आतंकवादी कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे के घर को सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया, शाहिद पिछले तीन से चार वर्षों से सक्रिय है, और कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। शुक्रवार की रात सुरक्षा बलों ने कुलगाम के क्विमोह में आतंकी जाकिर गनी के घर को ध्वस्त कर दिया है।

पाक ने राजस्थान बॉर्डर पर सेना बढ़ाई, सिंध में छिपाकर जवानों को किया तैनात

जयपुर। राजस्थान सीमा से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पाकिस्तान ने कथित तौर पर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण अपनी सेना को बंकरों में रहने का निर्देश दिया है। सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और बॉर्डर एक्शन टीम को इन बंकरों में तैनात किया गया है। इसके अलावा, एक मेडिकल टीम ने सिंध में युद्ध अभ्यास किया है, जो संभावित संघर्ष की तैयारी का संकेत देता है। स्थिति के गंभीर होने के कारण पाकिस्तान युद्ध क्षेत्र के लिए सभी आवश्यक संसाधन जुटा रहा है। पहचाने गए आतंकियों में तीन हिजबुल मुजाहिदीन, आठ लश्कर-ए-तैयबा और तीन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। राजस्थान सीमा से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पाकिस्तान ने कथित तौर पर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण अपनी सेना को बंकरों में रहने का निर्देश दिया है। सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और बॉर्डर एक्शन टीम को इन बंकरों में तैनात किया गया है।

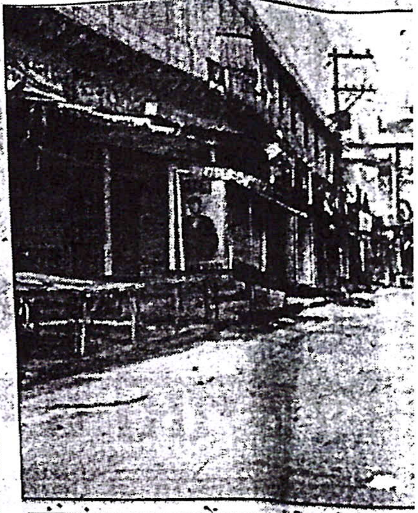

झुंझुनूं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरो

झुंझुनूं शहर

ऑटो भी नहीं चले स्कूलें भी रही बंद

आस-पास ब्यूरो...

झुंझुनूं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध और मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शनिवार को झुंझुनूं शहर बंद रहा। झुंझुनूं शहर बंद पूरी तरह से सफल रहा। इस बंद का आह्वान हिंदूवादी संगठनों ने किया था। जिसके बाद मुस्लिम संगठन और जनवादी संगठनों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया। बंद में निजी स्कूलें और आटो यूनियन भी शामिल रही। बंद के दौरान झुंझुनूं शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। मुस्लिम इलाकों में भी बाज़ार पूरी तरह से बंद रही और सन्नाटा पसरा रहा। बंद सफल के बाद सभी संगठनों के प्रतिनिधि रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और वक्ताओं ने इस घटना का बदला लेने के लिए

को देख
रामावत
छोड़कर
ज्ञापन
को स
हुए झुं
नारे भ
बाजा
तरह
दूध
इस
दौर

मफरूर, गिरफ्तारी वारन्टी में वांछित अपराधी पकड़े गए। 254 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार गया। 30 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया, जिनमें 25 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 141.88 लीटर देशी शराब, 56 लीटर हथकढ़ शराब, 01 पव्वा अग्रेजी व 1160 बिकी राशि बरामद की गई। 08 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के दर्ज किया गया। जिसमें गिरफ्तार 11 अपराधी के कब्जा 50 ग्राम डोडा पोस्त, 42.60 ग्राम हेरोईन, 20 किग्रा गांजा, 15 ग्राम अफीम, व एक मोटर साईकिल जप्त की गई। सात प्रकरण एक्ट के दर्ज किये गये जिनमें सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया एवं 4 हजार 230 रुपए जुआ राशि, एक डेक स्पीकर, एक वार बरामद की गई। एक प्रकरण आर्म्स एक्ट में दर्ज कर एक राधी को गिरफ्तार कर एक देशी पिस्टल बरामद की गई। जघन्य धों में वान्छित चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

बदमाश भी पकड़े गए: इस दौरान पुलिस ने इनामी बदमाश लाल पुत्र सोहनलाल उम्र 35 साल जाति बिश्नोई निवासी क पुलिस थाना पांचू को गिरफ्तार किया गया। पांची लाल पांच हजार रुपए का इनाम रखा गया।

सएफ ने र भी नजर

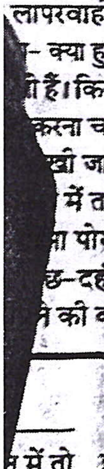

ओं ने पाकिस्तानी नागरिकों ासन कर रहा है।

ा बल की पोस्ट पर जवानों गर्ग ने कहा- ये सामान्य जवानों से मुलाकात हो रही है ताकि कोई एक्शन हो तो लापरवाही ना रहें।

- क्या हुआ है, हम सभी को ी हैं। किसी तरह के बहकावे करना चाहिए। गर्ग ने इशारा खी जा रही है।

में तापमान बढ़ रहा है। ा पोस्ट पर बैठे जवानों छ-दही इत्यादि हर रोज ने की कोशिश हो रही है।

अजमेर में रिटायर्ड सरकारी कार्मिक से 21 लाख की ठगी

अजमेर। एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी के साथ 21 लाख की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को ईडी का अधिकारी बताया और पीड़ित के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होने को लेकर धमकाया। पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत साइबर थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साइबर थाने के पुलिस उप अधीक्षक हनुमानसिंह ने बताया-रावत नगर, फ्रायसागर निवासी गोविंद ओझा ने मामला दर्ज कराया। इसमें बताया कि वह सरकारी सेवा से रिटायर्ड है। एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को ईडी का अधिकारी बताया। उसने कहा कि उसके आधार कार्ड से मुबंई मे फर्जी मनी लॉन्डिंग हुई और इसका केस चल रहा है। ऐसे में सेटल करना चाहे तो उसे कुछ राशि देनी पड़ेगी।

इमरान को दिया धोखा

न में तो कवादी या है। दौर से म्मेदार ख़िलाफ केवल ईरान देश में थियों सांप मपंथ ी तब त के

इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब असीम मुनीर उनके यहेते सैन्य अफसरों में शामिल हुआ करते थे लेकिन अक्टूबर 2018 में जैसे ही मुंगेर आईएसआई प्रमुख पने, वे उन्होंने इसरान के लिए मुखेबों सड़ी करनी शुरू कर वे थी। मुनीर ने 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला करवया जिसमें ससे अरपेएफ के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तानी सैन्य में घुसकर एयर स्ट्राइक कर शहादत का बदल लिया, लेकिन इससे इमरान सरकार की न केवल पाकिस्तान, बल्कि अंतरराष्टीय समुदाय में काफी किक हुई थी। यहीं से इमरान और सुनीर के संबंध बिगड़ने लगे थे। इसके बाद मुनीर ने आईएसआई चीफ रहते इमरान की पानी बुशरा बैंच पर भ्रटाचार के आरोप लगए। इससे

का रोढ़ है। भारत का यह कदम, हालांकि ... पानी की आपूर्ति भले न रोके—क्योंकि इसके लिए बड़े बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी—पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव बनाने के लिए क़ाफी है। अमेरिका, रूस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने जिस तरह से हमले की निंदा की है और भारत के प्रति एकजुटता दिखाई है, यह भी पाकिस्तान के कूटनीतिक अलगाव को गहरा ही करेगा, खासकर उन मुस्लिम देशों के साथ, जो अब भारत के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध बना रहे हैं।

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-240009, e-mail: rpcbsikar@gmail.com
LiFE

RPCB/RO-Sikar/SIK-PH-022/ Date:-25.04.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: मैसर्स गैलेक्सी एसोसिएट् एम.एल. नम्बर 15/2022, खसरा नम्बर 122, 129, 130, 131 ग्राम बनियाला (महावा), तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में क्वाटर्स, फेल्सपार और सिलिका रेत की मौजूदा खनन परियोजना में मेसेनरी स्टोन माइनिंग परियोजना शामिल करने एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिएं लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गैलेक्सी एसोसिएट द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें क्वाटर्स, फैल्सपार और सिलिका रेत की मौजूदा खनन परियोजना में मैसेनरी स्टोन माइनिंग परियोजना शामिल करने एवं उत्पादन क्षमता 470184 टीपीए से 700440 टीपीए बढ़ाई जानी है जो कि माइनिंग क्लस्टर क्षेत्र 9.6097 हैक्टर, एमएल नम्बर 15/2022, प्रस्तावित विस्तार खनन क्षेत्र 4.8333 हैक्टर, खसरा नम्बर 122, 129, 130, 131 निकट ग्राम बनियाला (महावा) तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित है से सम्बंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि गैलेक्सी एसोसिएट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुशरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -

i. जिला कलक्टर, सीकर ।
ii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर ।
iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, सीकर ।
vi. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ।
vii. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, सीकर ।
viii. ग्राम पंचायत, महावा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
ix. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम महावा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
x. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीकर, जिला सीकर

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 14924755 दिनांक 25.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 28.05.2025 (बुधवार) को प्रातः 11.00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत महावा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों सांवधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

नाम परिवर्तन सूचना

मेरे पुराने पासपोर्ट नंबर H4681529 में मेरा नाम वासु देव स्वामी पुत्र कैलाश चंद स्वामी दर्ज है और मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम वासुदेव (VASUDEV) अंकित है। ...

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम इशाक ISHAQ पुत्र मुमताज से बदलकर मोहम्मद इशाक MOHAMMAD ISHAQ रख लिया है। इशाक व ...